प्रेस नोट थाना पुवायां
शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक : 21.04.2026

थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी, कब्जे से अवैध तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर एवं 01 अदद खोखा कारतूस (नाल में फंसा हुआ) बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद में चलाए जा रहे अपराध रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना में संलिप्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर तथा 01 अदद खोखा कारतूस (नाल में फंसा हुआ) बरामद हुआ है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.04.2025 को वादी श्री सूरज दीक्षित पुत्र श्री आशीष पुत्र राम लड़ैते निवासी ग्राम जठियापुर बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवायाँ पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 20.04.2026 को समय करीब 03:00 बजे सायं वह बाजार करने हेतु आया था। जब वादी मोहम्मदी मोड़ पर फल-सब्जी लेने जा रहा था, तभी तीन अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुवायाँ पर मु0अ0सं0 236/26 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्तगण 1. सौरभ मिश्रा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा निवासी मोहल्ला हरदयाल कूंचा/नौगवां थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 26 वर्ष, 2. अर्पित सक्सेना पुत्र राकेश सक्सेना निवासी ग्राम बड़ागांव थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 21 वर्ष, 3. मौसम उर्फ आशुतोष दीक्षित पुत्र सचिदानंद निवासी ग्राम सिसौरा नकूमपुर कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी उम्र करीब 24 वर्ष के नाम प्रकाश में आए। अभियुक्तगण के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल को मौके पर सीज किया गया। साक्ष्य संकलन के उपरांत धारा 309(4)/317(2) बीएनएस का अपराध पाया जाने पर धारा 304(2) बीएनएस का लोप करते हुए उपरोक्त धाराओं की वृद्धि की गई।

इसी क्रम में दिनांक 20/21.04.2026 की रात्रि में थाना पुवायाँ पुलिस टीम क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु गश्त पर मामूर थी। दौरान गश्त मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्तगण छीने गए मोबाइल को बेचने की फिराक में काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से मोहम्मदी की ओर जाने वाले हैं तथा उनके पास अवैध असलाह भी है। सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मोहम्मदी बाईपास पुल के पास मुख्य मार्ग पर चेकिंग प्रारंभ की गई। कुछ समय पश्चात पुवायाँ की ओर से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने हेतु पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी देकर संकेत किया गया। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उन्हें रुकने एवं आत्मसमर्पण करने हेतु

चेतावनी दी गई, किन्तु एक अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में आवश्यक कार्यवाही करते हुए जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें एक अभियुक्त घायल होकर सड़क किनारे गिर गया। घायल अभियुक्त के पास जाकर देखा गया तो उसके दाहिने पैर (घुटने के नीचे) में गोली लगी थी, जिससे रक्तस्राव हो रहा था। तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु गमछे से रक्तस्राव रोका गया तथा नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम सौरभ मिश्रा उपरोक्त बताया, जो थाना पुवायाँ का वांछित अभियुक्त है। पुलिस टीम द्वारा अन्य दो अभियुक्त अर्पित सक्सेना एवं मौसम उर्फ आशुतोष दीक्षित को भी तत्परता एवं साहस का परिचय देते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 01:28 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुवायाँ भेजा गया तथा अन्य दोनों अभियुक्तों को थाना हाजा लाकर मर्दाना हवालात में निरुद्ध किया गया। इस संबंध में थाना पुवायाँ पर मु0अ0सं0 237/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सौरभ मिश्रा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा निवासी मोहल्ला हरदयाल कूंचा/नौगवां थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. अर्पित सक्सेना पुत्र राकेश सक्सेना निवासी ग्राम बड़ागांव थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 21 वर्ष।
3. मौसम उर्फ आशुतोष दीक्षित पुत्र सचिदानंद निवासी ग्राम सिसौरा नकूमपुर, कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी, उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

1. मु0अ0सं0 236/2026 धारा 309(4)/317(2) बी.एन.एस., थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 237/2026 धारा 109(1) बी.एन.एस. व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त – सौरभ मिश्रा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा निवासी थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर :

1. मु0अ0सं0 724/2023 धारा 323/352/506/427 भादवि, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 48/2016 धारा 363/366/504 भादवि, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 798/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0 907/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
5. मु0अ0सं0 952/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
6. मु0अ0सं0 604/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
7. मु0अ0सं0 704/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
8. मु0अ0सं0 429/2024 धारा 401 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
9. मु0अ0सं0 601/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी।
10. मु0अ0सं0 756/2023 धारा 147/148/149/307/323/504 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
11. मु0अ0सं0 167/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
12. मु0अ0सं0 123/2026 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
13. मु0अ0सं0 236/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
14. मु0अ0सं0 237/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त – अर्पित सक्सेना पुत्र राकेश सक्सेना निवासी थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर :

1. मु0अ0सं0 308/2022 धारा 379/411 भादवि, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 465/2023 धारा 379/411 भादवि, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।

3. मु0अ0सं0 583/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0 847/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त – मौसम उर्फ आशुतोष दीक्षित पुत्र सचिदानंद निवासी थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी :

1. मु0अ0सं0 233/2023 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 607/25 धारा 115(2)/118(2)/351(2) बीएनएस, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर।

पूछताछ का विवरण :-

अभियुक्तगण से घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अभियुक्त सौरभ मिश्रा पर पूर्व से लगभग 12–13 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा वह कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूटकर आया है। आर्थिक अभाव एवं खर्च हेतु धन की व्यवस्था न होने के कारण उसने अपने साथी अर्पित सक्सेना एवं मौसम उर्फ आशुतोष दीक्षित के साथ मिलकर दिनांक 20.04.2026 को कस्बा पुवायाँ क्षेत्र में मोहम्मदी रोड के आसपास अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से संभावित शिकार की तलाश में घूमना बताया। इसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति हाथ में मोबाइल लिए मोहम्मदी मोड़ के निकट जाता हुआ दिखाई दिया, जिस पर लालचवश तीनों अभियुक्तों द्वारा उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। पीड़ित द्वारा विरोध किए जाने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट करते हुए उसके हाथ में लिया हुआ मोबाइल फोन तथा जेब में रखे लगभग 1200 रुपये जबरन छीन लिए गए तथा घटना के उपरांत वे अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से मोहम्मदी रोड की ओर भाग गए। अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि उन्होंने उक्त मोबाइल को आसपास के लोगों को बेचने का प्रयास किया, परंतु कोई खरीददार न मिलने के कारण वे उसे बेचने हेतु मोहम्मदी जाने की योजना बना रहे थे।

बरामदगी विवरण :-

1.एक अदद तमंचा .315 बोर
2. एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
3. एक अदद खोखा कारतूस नाल मे फसा हुआ
4. एक अदद मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट पल्सर
5. एक अदद मोबाइल फोन ओपो
6. रुपये 840

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
3. निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी एसओजी मय टीम।
4. उपनिरीक्षक मनोज कुमार प्रभारी सर्विलॉस मय टीम
5. हे0का0 11 नरेन्द्र कुमार थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
6. हे0का0 180 धीरेन्द्र कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 2790 शिवकुमार थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर